न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0 एस0 नं0–538 / 2024

विंध्याचल गोंड – वादी

बनाम्

बिहार सरकार वगैरह – प्रतिवादीगण

07.07.2026

प्रस्तुत आवेदन दिनांक–21.11.2025 प्रतिवादी सं0–3 की ओर से आदेश 7 नियम 11 (घ) सी0पी0सी0 के अतर्गत इस आशय से दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–2 अंचलाधिकारी चक्की बक्सर द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक–23.08.2024 को गैर कानूनी उद्घोषित किये जाने के मुख्य अनुतोष मांग किया है। वाद पत्र में वादी ने बहुत सी तात्विक तथ्यों को छुपाकर वादी अपने को पीड़ित दिखाने का प्रयास किया है जो लॉ ऑफ प्लीडिंग एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 एवं 7 की आदेशात्मक प्रावधानों के विपरीत है। वाद पत्र की कंडिका 6 के अवलोकन से बिल्कुल स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी चक्की द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक–23.08.2024 बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–7 सन् 2022–23 में डी0सी0एल0आर0 डुमरांव द्वारा दिनांक–13.12.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में विवादित भूमि की अंचल अमीन द्वारा प्रेषित मापी प्रतिवेदन अनुसार प्रतिवादी सं0–3 रामराज पाल के भूमि के उपर अवैध हटाने के हेतु प्रेषित है। स्पष्ट है कि विवादित नोटिस अंचलाधिकारी चक्की ने बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–7 सन् 2022–23 में पारित आदेश के निष्पादन में जारी किया है जिसे प्रभाव शून्य करने हेतु वदी ने यह वाद छलपूर्वक दायर किया है जो बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के ज्ञापांक प्रावधान के उल्लंघन में दाखिल है। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम की धारा 8(1)में प्रावधान है कि इस अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसरण में स्वेच्छा पूर्वक किए गए अथवा किये जाने के लिए अभीसिप्त किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य कानूनी कारवाई संधारित नहीं की जायेगी। अलावे उक्त प्रावधानों के उसी एक्ट की धारा 10 में उल्लेखित है अनुसूची–2 के उल्लेखित न्यायालय में अतिरिक्त अन्य कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दायर किसी मामले का संज्ञान नहीं लेगा। पुनः धारा 10(2) में भी कहा गया है कि अनुसूची सं0–2 में उल्लेखित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में विचाराधीन कोई कार्यवाही तथा जिसमें उठाये गये मुद्दे इस अधिनियम के किसी मुद्दे के समान हो उपसमित हो जायेगी। विदित हो कि एक्ट की अनुसूची सं0–2 में दो न्यायालय डी0सी0एल0आर0 एवं आयुक्त

वर्णित। एक्ट की उपरोक्त सभी प्रावधानों ज्ञापांक है तथा प्रादेशिक विद्यायान होने से अधिमानी प्रावधान रखते हैं तथा वादी ने स्पष्टतः एक्ट के तहत वाद सं0–7 सन् 2022–23 में पारित विधि सम्मत आदेश के निष्पादन रोकने हेतु छदेम अभिकथन करके वाद लाया है तथा अपने को पीड़ित दिखाते हैं। निष्कर्षतः वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के धारा 8 एवं धारा 10 में वर्णित कानूनी प्रावधानों के विपरीत संस्थित है। इसलिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश 7 नियम 11(डी0) से स्पष्टतः अपेक्षित है। अतः निवेदन है कि वादी का मुकदमा भारी खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उपरोक्त आवेदन के आलोक में वादी के तरफ से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–26.05.2026 में कथन किया गया है कि प्रतिवादी का आवेदन मेंटेनेबुल नहीं है तथा वादी द्वारा अपनी केबाला सुदी एराजी मौजा शिवपुर दियर जनुबी खाता नं0–50 प्लाट नं0–2610/32 रकबा 25 डी0 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप तोड़–मरोड़ करने से सदा के लिए रोक देने हेतु वाद दाखिल किया है। वाद कारण प्रतिवादी सं0–3 द्वारा अंचाधिकारी चक्की द्वारा अतिक्रमण नोटिस से पैदा हुआ। प्रतिवादी सं0–3 के पर्चा को भी चैलेंज किया गया है। प्रतिवादी का खाता खेसरा रकबा अलग है तथा प्रतिवादी द्वारा तीन पर्चा के माध्यम से भूमि बंदोबस्ती की बात कहते हैं जबकि केवल दो पर्चा किया गया है तथा रसीद संयुक्त दाखिल किया गया है जबकि प्रत्येक पर्चाधारी का अलग–अलग रसीद होता है। सर्वे अमलेगान की गलती से प्रतिवादी के नाम 27 डी0 का खतियान बना जिसका खाता प्लाट रकबा अलग तथा जाली पर्चा के आधार पर वादी की केबाला सुदा एराजी में अंचलाधिकारी वो डी0सी0एल0आर के द्वारा वादी की केबाला भूमि में दखलंदाजी की जा रही है जिसे रोकने हेतु आग्रह किया गया है। वादी द्वारा इंतनाई आवेदन दिया गया था जिसमें अंचल अमीन द्वारा नापी वाद सं0–28 सन् 2024–25 में नापी प्रतिवेदन दाखिल किया है। वादी अपने केबाला भूमि से कम रकबा दखल में है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी की भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न ही नहीं उठता है तथा उक्त प्रतिवेदन को अवलोकन करके निषेधाज्ञा आवेदन निस्तारित किया है। वादी द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम में पारित आदेश को चुनौती नहीं दिया है जैसा कि प्रतिवादी द्वारा अपने आवेदन में दिखाने की कोशिश किया है बल्कि अपनी केबाला भूमि को सुरक्षित रखने हेतु वाद लाया है। बी0एल0डी0आर0 एक्ट में स्पष्ट है कि स्वत्व का मामला इनवाल्ब होने पर भूमि सुधार उप–समाहर्ता कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में वाद आदेश 7 नियम 11(डी) के तह नहीं आता है केवल वाद कारण के लिए अंचलाधिकारी चक्की द्वारा निर्गत नोटिस का जिक्र किया गया है। उक्त वाद में मिक्सड कोस्चन ऑफ लॉ एण्ड फैक्ट इंवाल्व है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी सं0–3 का आवेदन काबिल खारिज के है। प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 सरकार है, सरकार की तरफ से दाखिल जबाव प्रतिवादी सं0–3 के मेल में गलत दाखिल किया गया है। वाद पत्र

में सभी तथ्य पहले ही दर्ज है जिसे इस जबाव का अभिन्न अंग माना जाए। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–3 द्वारा दाखिल आवेदन आदेश 7 नियम 11(डी0) खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा यह वाद प्रतिवादी सं0–2 के द्वारा निर्गत नोटिस पत्रांक दिनांक–23.08.2024 को गैर कानूनी घोषित कराने हेतु तथा प्रतिवादी सं0–3 के निस्वत निर्गत पर्चा को फर्जी होने के आधार पर रद्द करने तथा खतियान में गलत इंद्राज के आधार पर लाया गया है। साथ ही साथ वादी के द्वारा विवादित भूमि अंतर्गत मौजा शिवपुर दियर जनुबी खाता सं0 50 प्लाट सं0 2610/32 रकबा 25 डी0 में प्रतिवादी के द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप एवं तोड़–फोड़ करने से रोकने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु यह वाद पत्र दाखिल किया गया है। जबकि प्रतिवादी के द्वारा यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के धारा 8 एवं 10 में वर्णित कानूनी प्रावधानों के विपरीत वाद संस्थित होने के व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आदेश 7 नियम 11(डी0) के अंतर्गत खारिज होने हेतु दाखिल किया गया है। पुनः वाद पत्र में संपूर्ण तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा यह वाद मात्र डी0एल0डी0आर0 के अंतर्गत निर्गत नोटिस को रद्द कराने हेतु नहीं किया गया है। जबकि इस वाद में विवादित वासगित पर्चा तथा खतियान को भी रद्द कराने हेतु वाद संस्थित किया गया है। इसके साथ–साथ वादी के द्वारा विवादित भूमि पर अपने केबाला के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का भी नोटिस मांगा गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्णतः बाधित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में वाद पत्र खारिज होने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी का आवेदन खारिज किया जाता है।

अगली तिथि..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय